न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/65/2021	2021/168	08-10-2021	06-07-2023

01– रधुवीर प्रसाद पुत्र बुद्वाराम जाति मीणा,
02– मु0 मुन्नी देवी पत्नि स्व0 बुद्वाराम जाति मीणा,
03– सरोज देवी पुत्री बुद्वाराम जाति मीणा,
04– अशोक पुत्र स्व0 महावीर पोत्र रामनाथ जाति मीणा,
05– कमल पुत्र स्व0 महावीर पोत्र रामनाथ जाति मीणा,
06– सुबेंसिंह पुत्र स्व0 महावीर जाति मीणा – (मृतक)
6/1 लाली पत्नी सुबेसिंह,
6/2 बीना पुत्री सुबेसिंह,
6/3 रीना पुत्री सुबेसिंह,
6/4 नचीता पुत्री सुबेसिंह,
6/5 राहुल पुत्र सुबेंसिंह जातियान मीणा निवासीगण ग्राम फतेहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

– अपीलाण्ट

बनाम

01– राजस्थान सरकार बहैसियत भू0 धारक तहसीलदार बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा तहसीलदार बानसूर दिनांक 23.10.2019 नामान्तकरण संख्या 919 वाके ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर।

उपस्थितः–
01–श्री अनिल गुप्ता –वकील अपीलान्ट
02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के निर्णय दिनांक 23.10.2019 नामान्तकरण संख्या 919 वाके ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिसके द्वारा नामान्तकरण मुताबिक डिक्री अंकन नही होने के कारण खारिज किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ट के बुजुर्ग बुद्वाराम व रामनाथ के द्वारा एक दावा घोषणात्मक दुरूस्ती अदालत सहायक जिलाधीश बानसूर के समक्ष सन 2000 में बउनवान सरोज बेवा जगदीश बनाम राजस्थान सरकार के विरूद्व पेश किया गया कि आराजी खसरा न0 868 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा जिसके साबिक आराजी खसरा न0 377 मिन रकबा 1

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

बीघा 8 बिस्वा, 443 मिन रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 460 मिन रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, 461 मिन रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, 462 मिन रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मोठूका की भूमि है, साबिक खसरा न0 460 रकबा 16 बीघा में से 6 बीघा को वादीगण के बुजुर्ग मुल्या काबिज काश्तकार थे, शेष 2 बीघा पर अन्य लोगो का कब्जा था, तथा 8 बीघा 4 बिस्वा पर गैरमुमकिन नाला था, लेकिन दौराने बन्दोबस्त कर्मचारियो वादीगण की आराजी खसरा न0 460 मिन रकबा 6 बीघा में से मात्र हाल खसरा न0 860 में 10 बिस्वा, 816 में 15 बिस्वा, 867 में 3 बीघा 10 बिस्वा ही मूल्या खातेदारी में दर्ज की है, शेष आराजी 1 बीघा 15 बिस्वा को विवादित आराजी 868 में शामिल कर दिया इसी प्रकार साबिक आराजी खसरा न0 462 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 3 बिस्वा विवादित आराजी में शामिल कर दी गयी इस प्रकार कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा बेजा तौर से बन्दोबस्त कर्मचारियो ने खिलाफ कानूनी व मौका खसरा न0 868 मिन रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा में 2 बीघा 18 बिस्वा शामिल कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादनी सरोज को आराजी खसरा न0 868 मिन रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण आंवटन कर दी गयी। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 823 दिनाक 25.04.2000 खोला गया जो गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। जिस पर अनुताष चॉहा गया कि वादीगण को हाल आराजी खसरा न0 868 में से रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। जो दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा दिनाक 04.01.2018 को वादीगण के हक में निर्णय व डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा न0 868 से रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा घटाकर वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 हिस्सा बरामद 1/2 भाग तथा वादीगण संख्या 2 लगायत 4 को बहिस्सा बराबर 1/2 भाग खातेदार घोषित किया गया एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द किया गया। पारित निर्णय व डिक्री की पालना कराने हेतु अपीलान्ट द्वारा एक इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तहत अदालत के द्वारा फर्द अहकाम जारी किया गया था। जिस आदेश की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 919 वाके ग्राम मोठूका अपीलान्ट के नाम से भरा गया लेकिन तहत अदालत के द्वारा यह कहते हुये कि साबिक आराजी खसरा न0 868 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा से वर्तमान में 4 हाल आराजी खसरा न0 848 रकबा 0.01, 849 रकबा 3.38, 859 रकबा 0.01, 860 रकबा 1.81 बने व 849 के डिक्री द्वारा दो हाल आराजी खसरा न0 1665/849 रकबा 2.65 सरोज देवी खातेदारी में दर्ज है, व आराजी खसरा न0 1664/849 रकबा 0.73 सिवायचक बिला लगानी राजकीय जनोपयोगी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है, पटवारी हल्का द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर भूमिधारी तहसीलदार बानसूर द्वारा आराजी खसरा न0 1664/849 के नाम दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है, जो राजकीय आरक्षित भूमि है, राज्यहित प्रभावित हो रहा है, जिस रिपोर्ट के आधार पर तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण खारिज कर दिया गया है, जो गलत है। जिला कलक्टर अलवर के आदेश क्रंमाक राजस्व/भ0आ0/(5)97/4085–89 दिनाक 10.06.1999 के द्वारा सरोज देवी को आराजी खसरा न 868 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा गैरमुमकिन खद्वर आंवटित की गयी थी, जिस आदेश के विरूद्व अपीलान्ट के बुजुर्ग द्वारा एक अपील संख्या 141/2002 न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष पेश की गयी थी, जो दिनाक 07.01.2005 को स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर अलवर के आंवटन आदेश दिनाक 10.06.1999 आराजी खसरा न0 868 वाके ग्राम मोठूका में अपीलान्ट के हिस्से 2 बीघा 18 बिस्वा तक आंवटन को निरस्त कर दिया गया था। जिस रकबे पर बन्दोबस्त से पूर्व मिन अपीलान्ट के बुजुर्ग काबिज थे, तथा उसके बाद अपीलान्ट काबिज है। जिसके संबंध में एक मौका कमिशनर रिपोर्ट में अपीलान्ट का कब्जा, काश्त, मकान व कुऑ बतलाया गया है। इस प्रकार इन्तकालाधीन आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है, जिस आराजी से कोई संबंध व सरोकार सरकार का नही है, फिर भी बेंजा तौर से तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण खारिज किया गया है। तहत अदालत के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

समक्ष अपीलान्टान के द्वारा आराजी खसरा न0 848 के संबंध में दावा पेश किया गया था, जिस आराजी खसरा न0 में से अपीलान्टान को 2 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार घोषित किया गया था, दौराने दावा विचारण तहसील बानसूर में सन 2006 में बन्दोबस्त विभाग द्वारा किया गया था, जिस बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा न0 868 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा के हाल आराजी खसरा न0 848, 849, 859, 860 कायम किये गये तथा खसरा न0 849 के डिकी के द्वारा हाल आराजी खसरा न0 1665/849 रकबा 2.65 सरोज देवी खातेदारी में दर्ज की गयी शेष 1664/849 रकबा 0.73 सिवायचक बिला लगानी दर्ज की गयी जो खसरा न0 864/849 रकबा 0.73 पर अपीलान्टान का कब्जा काश्त है, एवं मौके पर कोई सिवायचक नही है। इस प्रकार तहत अदालत के द्वारा मौके खिलाफ जाकर नामान्तकरण संख्या 919 वाके ग्राम मोठूका खारिज किया। तहत अदालत के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय व डिकी दिनाक 04.01.2018 की पालना करनी चाहिये थी, लेकिन तहत अदालत द्वारा बेजा व गलत प्रकार से मनमाने तरीके से नामान्तकरण संख्या 919 को खारिज किये जाने से मिन अपीलान्टान के हक व हकूक जयल होते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.10.2019 की मिन अपीलान्टान को पूर्व में कोई जानकारी नही थी, तथा मिन अपीलान्टान अपनी आराजी के संबंध में नामान्तकरण की जानकारी करने के लिये दिनाक 01.12.2019 को तहसील परिसर बानसूर में गया तो तहत अदालत के आदेश की जानकारी हुयी। जिस पर मिन अपीलान्टान द्वारा आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनाक 03.12.2019 को प्राप्त हुयी। जिस पर मिन अपीलान्टान द्वारा कानूनी सलाह मशवरा किया जाकर बिना देरी किये यह अपील पेश की जा रही है, इस प्रकार तहत अदालत के आदेश दिनाक 23.10.2019 की जानकारी से नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह व मशवरा लेने के दौरान अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी का समय कन्डोन किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टान अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जावे, साथ ही अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 919 वाके ग्राम मोठूका तहसील बानसूर निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुये जाहिर किया है, कि तहत अदालत तहसीलदार बानसूर के द्वारा विधिवत रूप से विधिवत कार्यवाही करते हुये नामान्तकरण संख्या 919 वाके ग्राम मोठूका दिनाक 23.10.2019 को निर्णित किया गया है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 919 निर्णय दिनांक 23.10.2019 वाके ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 12.12.2019 को पेश की गयी है, जो 1 माह, 18 दिन पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 01.12.2019 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि अपीलान्ट के बुजुर्ग द्वारा घोषणात्मक दुरूस्ती अदालत सहायक जिलाधीश बानसूर के समक्ष सन 2000 में पेश किया गया, आराजी खसरा न0 868 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा जिसके साबिक आराजी खसरा न0 377 मिन रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 443 मिन रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 460 मिन रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, 461 मिन रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, 462 मिन रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मोठूका की भूमि है, साबिक खसरा न0 460 रकबा 16 बीघा में से 6 बीघा को वादीगण के बुजुर्ग मुल्या काबिज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

काश्तकार थे, शेष 2 बीघा पर अन्य लोगो का कब्जा था, तथा 8 बीघा 4 बिस्वा पर गैरमुमकिन नाला था, लेकिन दौराने बन्दोबस्त कर्मचारियो वादीगण की आराजी खसरा न0 460 मिन रकबा 6 बीघा में से मात्र हाल खसरा न0 860 में 10 बिस्वा, 816 में 15 बिस्वा, 867 में 3 बीघा 10 बिस्वा ही मूल्या खातेदारी में दर्ज की है, शेष आराजी 1 बीघा 15 बिस्वा को विवादित आराजी 868 में शामिल कर दिया इसी प्रकार साबिक आराजी खसरा न0 462 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 3 बिस्वा विवादित आराजी में शामिल कर दी गयी इस प्रकार कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा बेजा तौर से बन्दोबस्त कर्मचारियो ने खिलाफ कानूनी व मौका खसरा न0 868 मिन रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा में 2 बीघा 18 बिस्वा शामिल कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादनी सरोज को आराजी खसरा न0 868 मिन रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण आंवटन कर दी गयी। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 823 दिनाक 25.04.2000 खोला गया जो गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। जिस पर वादीगण को हाल आराजी खसरा न0 868 में से रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का खातेदार वादीगण को घोषित किया । जो दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा दिनाक 04.01.2018 को वादीगण के हक में निर्णय व डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा न0 868 से रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा घटाकर वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 हिस्सा बरामद 1/2 भाग तथा वादीगण संख्या 2 लगायत 4 को बहिस्सा बराबर 1/2 भाग खातेदार घोषित किया गया एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द किया गया। जिस आदेश की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 919 वाके ग्राम मोठूका अपीलान्ट के नाम से भरा गया लेकिन तहत अदालत के द्वारा यह कहते हुये कि साबिक आराजी खसरा न0 868 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा से वर्तमान में 4 हाल आराजी खसरा न0 848 रकबा 0.01, 849 रकबा 3.38, 859 रकबा 0.01, 860 रकबा 1.81 बने व 849 के डिक्री द्वारा दो हाल आराजी खसरा न0 1665/849 रकबा 2.65 सरोज देवी खातेदारी में दर्ज है, व आराजी खसरा न0 1664/849 रकबा 0.73 सिवायचक बिला लगानी राजकीय जनोपयोगी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है, पटवारी हल्का द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर भूमिधारी तहसीलदार बानसूर द्वारा आराजी खसरा न0 1664/849 के नाम दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है, जो राजकीय आरक्षित भूमि है, राज्यहित प्रभावित हो रहा है, जिस रिपोर्ट के आधार पर तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण खारिज कर दिया गया है, जो न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार बानसूर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 919 वाके ग्राम मोठूका तहसील बानसूर निर्णय दिनाक 23.10.2019 निरस्त किया जाता है। तहत अदालत तहसीलदार बानसूर को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा पारित वादीगण के हक में पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 04.01.2018 के अनुसार नियमानुसार पालना करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)